सूचना पत्र

जर्मनी में लम्बे अवधि से रहते हुए प्रवासीयों और यूरोपीयन संघ (European Union) के नागरीकों के लिए इनटिग्रेशन कोर्स के दौरान जर्मन भाषा सिखने के कोर्सों के बारे में जानकारी

आदरणीय नागरीको,

अगर आप प्रवासी के तौर पर लम्बी अवधि से जर्मनी में रहते आ रहे है या यूरोपीयन संघ के नागरीक है तो आप संघीय कार्यालय (Bundesamt) में अर्जी कर सकते है कि आपको जर्मन भाषा सिखने के कोर्स में भरती होने की अनुमति दी जाये. यह तब मुमकिन है अगर आपके पास निवास कानून के अनुसार हिस्सा लेने का कोई हक नही है या अब यह हक खत्म हो चुका है.

बच्चे, किशोरावस्था या युवा लोग जो अभी स्कूल में जाते है उनको इन कोर्सो में हिस्सा लेने का हक नही है.

<u>इनटिग्रेशन कोर्स क्या होता है ?</u>

इनटिग्रेशन कोर्स में 600 स्कूली घंटों का एक जर्मन भाषा सिखने का कोर्स होता है और 30 घंटों का एक जर्मन लोकाचार के बारे में जानकारी पाने का कोर्स होता है.

भाषा के कोर्स में आप जर्मन शब्दावली सिखेगें जिसकी आपको दिन-प्रतिदिन जर्मन बोलने या लिखने में आवश्यकता होगी. इसमें सरकारी कार्यालयों से ताल-मेल, पडोसीयों और सहक्रमचारीयों से बात-चीत तथा पत्र लिखना और फ़ार्म को भरना आदि सिखाया जाता है. भाषा का कोर्स हर 100 घंटों के अंशों में बांटा गया है. आप कोर्स के किस अंश में आरम्भ करेगें यह आपका टेस्ट लेने के बाद सिद्ध किया जाता है.

लोकाचार कोर्स में आपको जर्मन सामाजिक जीवन के बारे में सूचना दी जाती है और यहां के कानूनों तथा नियमों के बारे में और इस देश की संस्कृति के बारे में सूचना दी जाती है.

लोकाचार कोर्स के अंत में एक परिक्षा होती है जिसे दो अंशों में बांटा गया है. पहले अंश में आप जर्मन भाषा में सरकारी मान्यक प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते है अगर आप लिखीत और मौखिक परिक्षा में पास हो जाते है. दूसरे अंश में उस विषय वस्तु की परिक्षा ली जायेगी जो आप ने लोकाचार के कोर्स में सिखा है. परिक्षा के नतीजे के बारे में आपको कोर्स की संस्था से परिणाम पत्र मिलेगा.

इसके अलावा आपको नियमित रुप से कोर्स में हिस्सा लेने के पश्चात इस बारे में प्रमाण पत्र पाने का हक होगा. कोर्स की संस्था की ओर से हर हिस्से के बाद आपको हाजिरी के बारे में प्रमाण पत्र मिलना चाहिये.

<u>इनटिग्रेशन कोर्स में भाग लेने के लाभ</u>

प्रवासी जो यूरोपीयन संघ के देशों के अलावा अन्य देशों के है उन्हे कुछ शर्ते पूरी करनी होती है अगर वह जर्मनी में स्थायी निवास की अनुमति चाहते है. इन शर्तों में एक शर्त है कि जर्मन भाषा की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए और जर्मनी में सामाजिक जीवन, कानूनों, नियमों आदि के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए.

इनटिग्रेशन कोर्स में पास होने के पश्चात इन शर्तों में से एक शर्त पूरी हो जाती है.

इस के अतिरिक्त सम्भवत आप को समय से पहले जर्मन नागरीकता पाने का हक मिल सकता है.

<u>इनटिग्रेशन कोर्स में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन</u>

दाखिला पाने के आवेदन पत्र को कृपया पूरा और साफ़ लिखाई में भर दें. आप नजदीक की कोर्स करने वाली संस्था से सम्पर्क कर सकते हैं जो आपको आवेदन पत्र भरने में सहायक होगी. यह आवेदन पत्र आपको संघीय कार्यालय (Bundesamt), कोर्स करने वाली संस्था से मिल सकते है या संघीय कार्यालय के होमपेज (www.bamf.de) से डाउनलोड किये जा सकते हैं. भरने के बाद आवेदन पत्र को संघीय कार्यालय के स्थानीय दफ्तर में भेज दें जो आपके नजदीक हो.अगर आपको कोर्स में भाग लेने की अनुमति मिलती है तो आपको इस बारे में संघीय कार्यालय से लिखित सूचना भेजी जायेगी. साथ में ही आपको कोर्स देने वाली संस्थाओं की सूचि भेजी जायेगी जो आपके आस-पडोस में कोर्स करते है.

इस प्रमाण पत्र में इस वाक्य „Die Teilnahmeberechtigung ist gültig bis ...“ के नीचे एक तारिख लिखी होगी. आप इस तारिख तक इनटिग्रेशन कोर्स आरम्भ कर सकते है.

इसलिए कृपया शीघ्र ही किसी कोर्स करने वाली संस्था से सम्पर्क करें और वहां भाग लेने वाले लिखित प्रमाण पत्र को जमा करवा दें.

इनटिग्रेशन कोर्स की फ़ीस

भाग लेने के लिए आपको 1 यूरो प्रति स्कूली घंटे की फ़ीस कोर्स की संस्था को भरनी होगी. यह रकम हर 100 घंटों के अंश के लिए भरनी होगी और लोकाचार के कोर्स के आरम्भ में देनी होगी.

अगर आपकी अपनी कोई आमदनी नही है तो यह फ़ीस उस व्यक्ति को भरनी होगी जिसके पास आप के जीवन-निर्वाह की जिम्मेदारी होगी.
वह भाग लेने वाले जिन्हे रोजगार कार्यालय से खर्चा (Arbeitslosengeld II) मिलता है या सोशल के पैसे (Sozialhilfe) मिलते है उन्हे इस फ़ीस से मुक्ति मिल सकती है.

यह बात तब भी लागू है अगर उस व्यक्ति को जिसके पास आपके जीवन निर्वाह की जिम्मेदारी है यह खर्चा या सोशल मिलती हो.

फ़ीस से मुक्ति पाने के लिए आपको संघीय कार्यालय के स्थायी दफ्तर में लिख कर आवेदन पत्र भेजना होगा (पत्ते की सूचि देखें). फ़ीस की मुक्ति पाने के सबूत (कागजातों की फ़ोटोकापी) भी साथ भेज दें. जब आप कोर्स की संस्था में रजिस्ट्रेशन करवायें तब तक हर हालत में फ़ीस की मुक्ति पाने का आवेदन पत्र संघीय कार्यालय के स्थायी दफ्तर में भर कर जमा करवा दें.

कोर्स में भाग लेने वाले उन व्यक्तियों को जिनको फ़ीस से मुक्ति मिली है तुरन्त संघीय कार्यालय को इस बारे में सूचना देनी होगी अगर उनको रोजगार कार्यालय से खर्चा (Arbeitslosengeld II) या सोशल के पैसे (Sozialhilfe) मिलने बंद हो जाये.

अन्तिम परिक्षा की फ़ीस आपको खुद भरनी होगी. परन्तु आप इस के लिए भी फ़ीस की मुक्ति का आवेदन पत्र भर सकते है. इस के लिए आप संघीय कार्यालय के स्थायी दफ्तर में लिख कर आवेदन पत्र भेज सकते है. यह आवेदन पत्र आपको कोर्स करने वाली संस्था से मिल सकते है या संघीय कार्यालय (Bundesamt) के होमपेज (www.bamf.de) से डाउनलोड किये जा सकते हैं.